न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 08/16 निर्णय दिनांकः 22-08-2024

1. नोजी देवी पत्नी रामलाल जाति बिश्नोई निवासी फूलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. भीयाराम
3. भागीरथ
4. पांचाराम
5. नेनूराम

पिसरान रामलाल जाति बिश्नोई निवासी फूलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

–प्रार्थीगण

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–अप्रार्थी

नजरसानी प्रार्थना पत्र विरुद्व निर्णय
अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी,बीकानेर
दिनांक 07–01–2014

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 07–01–2014 जिसके द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में अर्न्तगत आदेश 47 नियत 1 व धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण के पति/पिता का विवादित भूमि पर वर्षों से कब्जा चला आ रहा था जिस पर प्रार्थीगण अपने पिता/पति की मृत्यु पश्चात आदिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर द्वारा दिनांक 08–11–2012 को कब्जे काश्त की भूमि की खातेदारी सनद जारी कर दी गई। लेकिन तत्पश्चात करीब एक वर्ष बाद दिनांक 14–06–2013 को किसी शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुनः खातेदारी सनद जारी की गई जिसमें अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि का कुछ हिस्सा कम कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं खातेदारी सनद जारी की थी एवं प्रार्थीगण को बिना किसी सुनवाई का मौका दिये स्वयं द्वारा ही खातेदारी सनद में संशोधन कर दिया गया जो कि विधिसम्मत नहीं है। न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा जारी संशोधित खातेदारी सनद के विरूद्ध प्रार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपील प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 07–01–2014 को अपील खारिज कर दी गई। उक्त अपील के निस्तारण के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2014 में ही न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में नजरसानी प्रस्तुत की गई जो वर्ष 2016 में क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण न्यायालय हाजा में जैरकार है। नजरसानी में लिमिटेड स्कोप होने के बावजूद भी प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं प्रार्थीगण के द्वारा वर्षो से काबिज काश्त की भूमि को सुधार कर कृषि योग्य भूमि बनाया था लेकिन अपीलाधीन आदेश में एवं नजरसानी आदेश में प्रार्थीगण को सुनवाई का किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं वर्तमान मौके एवं रिकोर्ड की रिपोर्ट के अवलोकन बिना ही आदेश पारित कर दिया जोकि स्पष्ट रूप से एरर अपेरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड होना स्पष्ट रूप से साबित है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा आरआरडी 1995 पेज 268 व एससी पेज 738 के न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए उक्त नजीर के आधार पर प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र स्वीकार करते हुए नजरसानी आदेश दिनांक 07–01–2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–06–2013 निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन कि प्रार्थीगण की अपील गुणावगुण पर खारिज की जा चुकी है। रिव्यू का स्कोप लिमिटेड है, जिस पर गुणावगुण पर बहस नहीं की जा सकती है। अपीलांट/प्रार्थी की अपील को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 08–11–2012 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि बाबत खातेदारी सनद जारी कर दी गई थी लेकिन उसके पश्चात किसी शिकायतकर्ता की शिकायत पर उसी न्यायालय ने पुनः खातेदारी सनद जारी की जिसमें पूर्व में वर्णित भूमि एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का अंकन पूर्ण नहीं किया गया। खातेदारी सनद को संशोधन करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी की अपील को इस आधार पर खारिज किया गया था कि अधीनस्थ न्ययालय द्वारा यदि प्रार्थीगण को सुना भी जाता तो भी यही आदेश पारित होता। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त किये बिना शिकायत के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि कम कर दी गई एवं दूसरा आधार यह लिया गया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2014 बिना किसी तथ्यों का खुलासा करते हुए मात्र इस आधार पर पारित कर दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है एवं अपीलांट/प्रार्थीगण के कथनों पर किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया गया जोकि विधिसम्मत निर्णयों की परिभाषा में नहीं आने से स्पष्ट रूप से एरर अपरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड साबित है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में हमने पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात प्रार्थीगण नामान्तरण की प्रतिलिपि एवं पटवारी रिपोर्ट जिसमें वर्ष 1991 से प्रार्थीगण के पिता/पति का निरन्तर कब्जा बताया गया है एवं शिविर प्रभारी द्वारा वर्ष 1991 में वादगत भूमि की तरमीम का आदेश प्रार्थीगण के पिता/पति के हक में पारित किया हुआ है। इन दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इतने वर्ष पुराना कब्जा काश्त होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा खातेदारी सनद में संशोधन करने से पूर्व खातेदार काश्तकार को सुना जाना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में भी प्रार्थीगण के इन दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया गया एवं जैर अपील आदेश में इन दस्तावेजों का कोई हवाला नहीं दिया गया है। ऐसीस्थिति में प्रार्थी/अपीलांट की अपील को बिना दस्तावेजों के अवलोकन किये बिना खारिज किया जाना स्पष्ट रूप से एरर अपेरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड की श्रेणी में आता है।

7. अतः उक्त विवेचना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखने के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—01—2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को सुनवाई व दस्तावेजात पेश करने का समुचित अवसर प्रदत्त कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21/8/2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर